न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 71/2012

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थीगण--
मठार पुत्र सफी जाति मुसलमान निवासी धनाऊ तहसील चौहटन जिला बाड़मेर		1. जैन धर्मशाला जरिये रतनलाल पुत्र राणामल जाति जैन निवासी धनाऊ तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 2. ग्राम पंचायत धनाऊ जरिये सरपंच

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या शुन्य दिनांक 22.10.1985 जो ग्राम पंचायत धनाऊ द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र रामावात, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 08/2017

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थीगण--
दरिया खां पुत्र मठार खां जाति मुसलमान निवासी धनाऊ तहसील चौहटन जिला बाड़मेर		1. ग्राम पंचायत धनाऊ जरिये सरपंच 2. जैन धर्मशाला जरिये रतनलाल पुत्र राणामल जाति जैन निवासी धनाऊ तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या शुन्य दिनांक 22.10.1985 जो ग्राम पंचायत धनाऊ द्वारा जारी किया गया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपस्थिति :–

1. श्री पदमसिंह पड़िहार, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र रामावात, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 11/12/2019

1. प्रार्थीगण की ओर से यह दोनो निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत धनाऊ की ओर से अप्रार्थी श्री जैन धर्मशाला ग्राम धनाऊ के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 22.10.1985 के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने पर समान पक्षकार एवं एक ही विषयवस्तु होने से उक्त दोनो निगरानी प्रार्थना पत्रों को एक संयुक्त निर्णय द्वारा निर्णीत किया जा रहा हैं तथा निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें।

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत धनाऊ द्वारा अप्रार्थी श्री जैन धर्मशाला धनाऊ के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1953 के अधीन ग्राम धनाऊ मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. शुन्य दिनांक 22.10.1985 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 10000 वर्गफीट दर्शाया गया है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत धनाऊ द्वारा बिना संकल्प लिये एवं नियमानुसार कार्यवाही किये जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थीगण ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर बाड़मेर

होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत धनाऊ का प्रश्नगत अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम धनाऊ में प्रार्थी के स्वामित्व एवं रहवास का एक कदीमी बाड़ा आया हुआ है जिसके अन्दर एक झूंपा प्रार्थी द्वारा बनाया गया था जिसमें प्रार्थी का रहवास हैं इसके उत्तर--पश्चिम में कंटीली तार से बाड़ बनाई हुई है तथा करीब 4 गाड़ी पत्थर (सोलिंग) डाली हुई हैं। इस बाड़े के पडौस उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में शिशपाल ओसवाल की दुकानें, पूर्व में मैन रोड़ चौहटन से बाखासर जाने वाली तथा पश्चिम में गली आई हुई है। अप्रार्थी सं. 1 ने ग्राम पंचायत धनाऊ के भूतपूर्व सरपंच से साजिश करके प्रार्थी के बाड़े की भूमि को हड़पने के लिए गुप्त रूप से पुरानी तारीखों में फर्जी कार्यवाही कर इस बाड़े की भूमि का पट्टा सं. शुन्य अप्रार्थी सं. 1 के नाम दिनांक 22.10.1985 को जारी कवाया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा बिना संकल्प लिये निःशुल्क आवंटन आपसी बातचीत द्वारा जारी करना बताया गया है। इस पट्टा के जारी करने में ग्राम पंचायत में नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं हुई है तथा न ही अप्रार्थी सं. 1 द्वारा कोई आवेदन पत्र ग्राम पंचायम के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत बने राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 255 से 272 तक के प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया गया है। प्रार्थी द्वारा जब आलौच्य पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि ग्राम पंचायत धनाऊ से मांगी गई तब ग्राम पंचायत द्वारा लिखित में जवाब दिया कि इस पट्टे से संबंधित पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में यह पट्टा प्रारम्भतः शुन्य और अकृत हैं।

Ansh
जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि प्रार्थी को इस पट्टे के बारे मे सर्वप्रथम ज्ञान 3 माह पूर्व हुआ जब अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उक्त फर्जी पट्टा के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा पाने एवं दीवानी वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थी द्वारा सिविलि न्यायालय से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं, जो अन्दर मयाद हैं। ग्राम पंचायत की ओर से अप्रार्थी के पक्ष में 10000 वर्गफुट भूमि का पट्टा आपसी बातचीत द्वारा निःशुल्क जारी करना बताया हैं, जबकि इस भूमि की वर्तमान कीमत करीब एक लाख रूपये है। इससे साबित हैं कि तत्कालीन सरपंच ने अपने रिश्तेदार अप्रार्थी सं. 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत से फर्जी कार्यवाही कर पुरानी तारीखों मे यह पट्टा जारी किया हैं जो आरम्भतः शुन्य होने से निरस्त योग्य हैं। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आलौच्य पट्टा दिनांक 22.10.1985 निरस्त फरमाया जावें।

6. अप्रार्थी राणामल के योग्य अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का कोई भूखण्ड मौके पर नहीं हैं बल्कि उक्त भूखण्ड अप्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का हैं जिसमें धर्मशाला व मंदिर बना हुआ हैं व धर्मशाला के निर्माण हेतु मौके पर पत्थर डाले हुऐ हैं। प्रार्थी सड़क व धर्मशाला के बीच की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा हैं जिसके लिए सिविल न्यायालय में वाद दायर किया गया। इस वाद में प्रार्थी व अन्य पाबन्द किया गया हैं कि वे धर्मशाला की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करें। ग्राम पंचायत धनाऊ द्वारा अप्रार्थी जैन धर्मशोला संस्था को सम्पूर्ण जांच व कानूनी प्रक्रिया अपनाकर आलौच्य पट्टा जारी किया गया है तथा जैन धर्मशाला का निरन्तर कब्जा चला आ रहा हैं। आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत कार्यालय में सम्पन्न हुई हैं तथा रेकर्ड में संधारित किया गया था जो अब यदि ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नही हैं तो इसकी जानकारी अप्रार्थी को नहीं है किन्तु पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आधार पर उक्त पट्टा शुन्य और अकृत होना नहीं माना जा सकता हैं। प्रार्थी को उक्त पट्टे की जानकारी शुरू से ही थी क्योंकि इस भूमि पर नियमानुसार मंदिर व धर्मशाला का निर्माण करवाया गया था। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र मयाद बाहर होने के साथ ही सारहीन एव आधारहीन होने से मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावें।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। अप्रार्थी ग्राम पंचायत धनाऊ द्वारा अप्रार्थी श्री जैन धर्मशाला धनाऊ के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1953 के अधीन ग्राम धनाऊ मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. शुन्य दिनांक 22.10.1985 जारी किया गया। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत धनाऊ द्वारा बिना संकल्प लिये एवं नियमानुसार कार्यवाही किये जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थीगण ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। प्रार्थीगण द्वारा इन निगरानी प्रार्थनों में मुख्य आधार यह प्रकट किया हैं कि विवादित भूखण्ड पर उनका कब्जा हैं तथा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी जैन धर्मशाला को गलत रूप से भूमि का नियमितीकरण किया गया हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा जारी उक्त पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नही होने से उसका अवलोकन नहीं किया जा सकता हैं तथा इसके अभाव में इसके जारी करने में किसी प्रकार की अवैधता अथवा अनियमितता की जांच संभव नही हैं साथ ही यदि पत्रावली ग्राम पंचायत पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नही हैं तो इसके इस निगरानी प्रार्थना पत्र के द्वारा आलौच्य पट्टे एवं ग्राम पंचायत की कार्यवाही पर अनियमितता, अपूर्णता एवं अवैधता हुई है अथवा नहीं, कोई निर्णय दिया जाना संभव नही है। जहां तक प्रार्थी का अभिकथन हैं कि सिविल न्यायालय

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

में जो प्रकरण चला वह किसी अन्य का है, जो मानने योग्य नही हैं तथा यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में प्रार्थीगण द्वारा असाधारण विलम्ब किया गया हैं। सिविल न्यायालय में विचारित वाद में 2010 में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट की प्रति इस पत्रावली में प्रस्तुत हुई, जिसमें विवादित भूमि पर जैन मंदिर, धर्मशाला इत्यादि के साथ एक हिस्से में झोंपा दिखाया गया है। चुंकि यह भूमि अप्रार्थी को आवंटित की गई हैं, न कि कब्जे के आधार पर नियमितीकरण किया गया हैं, ऐसे में प्राथी के वर्तमान कब्जे के आधार पर नहीं माना जा सकता कि पट्टा गलत हैं। आलौच्य पट्टा 1985 में निःशुल्क आवंटन हुआ हैं, जिसके बाबत प्रार्थीगण साबित नहीं कर सके हैं तथा रेकर्ड के अभाव में धारा 97 के तहत उक्त पट्टे की वैधता, नियमितता एवं पूर्णता की पहलु पर जांच संभव नहीं होने से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दोनो निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किये जाते है।

9. निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर